only an enabling Bill which will authorise the Central Government to formulate any scheme for being enforced.

Now, if we look to the various clauses, we will see how this is proposed to be achieved. Clause 1 is the usual short title, extent and commencement of the Bill. There is nothing in it. Clause 2 deals with definitions. That is a common thing. Then, we come to clause 3, Clause 3, in fact, gives what is intended to be done. It deals with the power to make schemes for relief in respect of personal injuries and personal service injuries.

Now, as the House is aware, the country is passing through an emergency. In October and November, the country was attacked by the Chinese and there were certain cases where personal injuries were inflicted on persons not directly connected with military operations. When this scheme comes into force, it will mainly apply to these people.

Then there is clause 4—relief from liability to pay compensation or damages. That is another enabling clause which will have to be put in the scheme when it is formulated.

Then, another important clause is clause 6 which deals with medical attention in dispensaries and hospitals.

I do hope that this Bill which is a very welcome Bill will find all support from this House.

SHRI C. R. PATTABHI RAMAN: Sir, I am grateful to Shri Bhargava for the support he has given, and I envisage support all round from the House. I am not surprised at the unanimity because as has been pointed out, this is a very essential measure in view of the emergency which we are now facing.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : The question is:

"That the Bill to make provision for the grant of relief in respect of certain personal injuries sustained during the period of the emergency, as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 8 roere added *to the Bill*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI C. R. PATTABHI RAMAN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

(I) THE EMERGENCY RISKS (GOODS) INSURANCE BILL, 1962

(II) THE EMERGENCY RISKS(FACTORIES) INSURANCE BILL, 1962

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. R. BHAGAT) : Sir, there are two Bills. They are more or less the same, and if the House permits, we can take up the two Bills for consideration together, and I will make the two motions together.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : I think so. The Bills can be taken up together.

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh): Are they to be taken up together?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) : Yes, that is the proposal.

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I move: |

"That the Bill to make certain provisions for the insurance of goods in India against damage by enemy action during the period of emergency, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The Bill has been with the hon. Members for some days and we have made an attempt, in the notes on clauses and other memoranda attached to it, to explain the basic framework of the scheme. I do not think, therefore, that it is necessary for me to make a long speech.

This Bill is based essentially on the provisions of the corresponding Ordinance which was in force during the last war, which was itself drafted on the, basis of the English Act. We have considered it desirable to retain the general scheme, and except for the purpose of removing obscurities or drafting lacunae, even the language of the English law, as there is some advantage in doing so. The law relating to war risks insurance scheme is not yet familiar and well-settled, fortunately because wars have not become quite common; and the schemes, as they were in existence during the last war, are still relevant and useful as providing the necessary guidance in regard to matters of policy or interpretation.

The Bill has emerged from the other House with two important changes. It was always our intention that the rate of premium under this scheme of insurance should be as low as practicable and that after the lapse of some time, during which some experience of the working of the scheme had been obtained, it should be reconsidered, so that any possible further reductions could be made. In view of this intention, it j was not felt necessary at the beginning to provide in the Bill itself for] any ceiling in respect of the premium rate.

In deference to the views expressed since the Bill was introduced, we agreed to mention the intended ceilings in the Bill itself. Within the limits which have now been mentioned, the actual premium rates will be determined from time to time after taking into consideration the degree of risk, the accumulations in the insurance fund and other relevant considerations. The position will be kept under review from time to time so that the burden on the industrialists, traders and the general public is no more than the unavoidable minimum.

Sir, the other change made in the Bill by the Lok Sabha has been to reduce the limit at which the obligation to take out a compulsory scheme of insurance begins to operate. The minimum limit has been brought down from Rs. 50,000, as originally proposed, to Rs. 30,000. This modification helps us to spread the risk, to the extent that it exists, still further, and thereby, perhaps, to reduce the premium below the rate at which it might otherwise have to be levied.

Even with a reduction in the limit for compulsory insurance, there will be many traders, stockists and other sellers of goods, who will be holding goods for sale below this limit and who may be anxious to get their goods insured, if not compulsorily, then at least on an optional basis. We are going to provide in the scheme for the grant of protection to such persons, subject to suitable conditions as regards the period for which the cover will be provided.

Sir, the object of this Bill is to ensure that in spite of the threat of action by the enemy and the risks of any damage or loss of property aa a result of the present hostilities, industry and trade, especially in the areas which are near the scene of any possible action, will continue to be unaffected and that production as well as the. flow of commodities and ser-

vices will be uninterrupted. This is an important and desirable objective, and to the extent that businessmen, stockists and other owners of goods for gale co-operate with the government, it can be achieved at a minimum cost to our economy in resources and effort. I would appeal to all those who may be concerned with or interested in these schemes to extend such co-operation to the Government.

With these words, Sir, I move this Bill for consideration.

Sir, I move:

"That the Bill to make provisions for the insurance of certain property in India against damage by enemy action during the period of emergency, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

During the last war, a scheme of insurance of goods against war risks was brought into force at a comparatively early stage and the factories insurance scheme came much later, after the war had been brought by the Japanese very close to the borders of India. We have considered it desirable on the present occasion to introduce the two schemes together as industrial property in the form of buildings, plant and machinery is as much in need of protection from the enemy as movable goods intended for sale.

We have made, Sir, two important changes in adapting the provisions of the law, as it was in force during the last war, for current needs. We have in the first place taken specific power to extend the scheme at Government's option, so as to cover the installations and equipment of the oil companies. As the House is aware, the oil mining, processing and distributing industry has been developed very rapidly in recent years, and it has been considered desirable that the benefits of the insurance scheme should be. extended to these companies, if necessary, in the same manner as in the case of factories.

We have also made some special provision for tea. This is our largest foreign exchange earner, and the industry, it also happens, is concentrated in areas which are very near the scene of any possible military action. In the normal course, the factory equipment and plant of the tea gardens might be insurable under the factories or goods insurance scheme as the case may be, but a peculiar problem which has been facing the tea gardens is that the growing crop is as much or even more important and has to be covered by insurance. The unplucked tea leaves, although these are the main asset of the gardens, are normally outside the scope of any scheme of insurance. This adds very considerably to the difficulties of the tea estates in the existing conditions, and as the problem is real and important, it demands a solution. We have considered it expedient in these circumstances to take the necessary power to extend this scheme so as to cover the growing tea crop, if this proves to be necessary.

The Members, I think, are aware of the amendment which has been made by the Lok Sabha in clause 3(3) (c) of this Bill to provide for a ceiling in regard to the premium Which may be charged. I know that there js a feeling in certain quarters that even this ceiling may in practice be very high. I would like to take this opportunity, therefore, to assure the House that the actual rates which may be charged will be decided from time to time after taking into consideration the degree of risk, the accumulations in the fund, and other relevant considerations.

We are starting this insurance scheme today without a reasonably adequate idea of the value of the property which can, or will be, covered under this scheme. As time passes, we are bound to acquire some more

[Shri B. R. Bhagat] precise knowledge of our obligations, and a closer estimate of the premium revenue which we are likely to obtain may also be available. If any premium which is notified in the scheme, when it is first brought into force, turns out to be too high, or unnecessarily burdensome from the point of view of industry, the position can easily be reviewed. It is our intention, as a matter of fact, that this review should be conducted at regular intervals, and perhaps after every quarter.

While we are anxious to ensure that the insurance fund will be self-sufficient and that there will be no net burden on the whole on the tax-payer on whom there may be other claims, we are also alive to the fact that this scheme has to be operated as an insurance scheme and not as a taxation measure.

This Bill, Sir, is an emergency measure, but it provides for a scheme which can be modified in the light of changing needs and circumstances. Our object in promoting this legislation is merely to help and assist the Indian economy, and I am surce that we will continue to bear this in view throughout the period for which the scheme may be in force.

Sir, I move this Bill for consideration.

The questions were proposed.

श्री कृष्ण चन्द्र (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, सरकार इस सदन के सामने जो बिल लाई है उसको देख कर इस सदन को ही नहीं, बल्कि सारी जनता को संतोष होगा कि सरकार चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के प्रति दृढ़ संकल्प है और उसी दृढ़ संकल्प का यह द्योतक है । जब लड़ाई चलेगी तो दुश्मन के तौर तरीकों से जनता को नुकसान पहुंच सकता है, और उसके सामान को नुकसान पहुंच सकता है । जहां तक परसनल इंज्यूरी का सवाल है, किसी को चोट आ सकती है, जख्म हो सकता है, कोई आदमी रोजगार के लिये नाकाबिल बन सकता है, इन सब चीजों के लिये पहले विधेयक आ चुका है और उसमें इन सब चीजों का इंतजाम कर दिया गया है । लेकिन जहां तक तिजारत का सवाल है, व्यापार का सवाल है, व्यापारियों को अपना सामान इधर उधर भेजने में, अगर सामान उनके पास रहता है तो बम गिर सकता है या किसी और तरह से नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है अथवा ट्रेन में कोई हादसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिस से कि सामान नष्ट हो जाये । लड़ाई के जमाने में इस तरह की बात होने का हमेशा जोखम रहता है और इन सब चीजों का बीमा करने के लिये यह विधेयक सरकार लाई है ताकि जनता को लड़ाई के जमाने में जो नुकसान हो उसका उसे मुआविजा मिल सके ।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पिछली लड़ाई में इंगलैंड में इस चीज के लिये जिस तरह का विधेयक बनाया गया था उसी तरह की व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है । माननीय मंत्री जी ने खुद बतलाया है कि गवर्नमेंट को इस बात का कोई अन्दाजा नहीं है, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया है कि सामान का किस तरह से नुकसान होगा, कितने सामान का बीमा कराना पड़ेगा और उसके बदले में कितना रुपया देना पड़ेगा । इस वास्ते माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इस विधयक में सरकार को यह सदन अधिकार देता है कि सरकार इस संबंध में योजना बनायेगी और उस योजना में समय समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करती रहेगी । किस समय किस चीज पर कितना ज्यादा प्रीमियम लेना चाहिये, ज्यादा लेना चाहिये या कम लेना चाहिये, यह सरकार बराबर देखती रहेगी और योजना में परिवर्तन करती रहेगी । सरकार जनता से ज्यादा प्रीमियम भी वसूल नहीं कर सकती है और उसे कम प्रीमियम भी वसूल नहीं करना चाहिये । गवर्नमेंट जनता के माल के नुकसान होने पर जिस तरह से घाटे

की पूर्ति करने की बात सोच रही है, वहां तक यह स्कीम ठीक है ।

मैं कुछ बातें इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। लोक सभा ने इस बिल में बहुत सुधार किये हैं जैसा कि माननीय उपमंत्री जी ने बताया। पहले तो यह रखा था कि यह स्कीम गवर्नमेंट बनायेगी और वह क्या स्कीम होगी, लोक सभा के लोगों को या पालियामेंट के मेम्बरों को उसका पता भी नहीं चलेगा और वह स्कीम के सम्बन्ध में अपनी राय नहीं दे सकेंगे। लेकिन लोक सभा में इसमें यह एक संशोधन कर दिया गया है कि जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनायेगी और समय समय पर उस स्कीम में जो परिवर्तन करेगी, वे सब दोनों सदनों के सामने रखे जायेंगे और किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार होगा कि उसमें परिवर्तन करने का वह प्रस्ताव सदन के सामने रख सके और प्रस्ताव के पास होने पर उस स्कीम में उस तरह से परिवर्तन कर दिये जायं।

दूसरे, जैसा कि उन्होंने बताया कि इंश्योरेंश का क्या प्रीमियम होगा, किस दर से प्रीमियम लेंगे, उसकी भी पहले बिल में कोई लिमिट या कोई मर्यादा नहीं बांधी गई थी कि उससे अधिक नहीं लिया जायेगा। लेकिन अब इस बिल में मर्यादा बांध दी गई है कि तीन प्रतिशत से ज्यादा प्रीमियम नहीं लिया जायेगा। तो यह बिल इस तरह से बहुत अच्छा हो गया है।

इस बिल के अन्दर यह व्यवस्था है कि जितना नुक्सान होगा और जितने माल का उसने बीमा किया होगा, उसकी ८० प्रतिशत गवर्नमेंट देने के लिये जिम्मेदार होगी। इस बिल के अन्दर जितने भी लोग सामान रखेंगे और उसका व्यापार करेंगे, सामान इधर उधर भेजेंगे, उनके लिये यह अनिवार्य होगा कि वे उसका बीमा अवश्य करायें। यह भी बात समझने के लायक है कि लोगों का बीमा कराना लाज़िमी होना चाहिये क्योंकि अगर कोई बीमा नहीं करायेगा तो मुमकिन है कि केवल ऐसी चीजों का इंश्योरेंश हो जिसमें गवर्नमेंट को घाटा ही घाटा रहे और उसको प्राप्त कुछ भी न हो। पहले बिल में यह रखा गया था कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके व्यापार में अगर कुल ५० हजार का माल है तो उनको एक्जेम्प्ट किया जायगा अर्थात् ५० हजार तक के माल वालों की बीमा कराने की जरूरत नहीं होगी। लोक सभा ने उसको ५० हजार से ३० हजार कर दिया। मैं समझता हूं कि लोक सभा ने बिल और सख्त बना दिया है। ऐसे छोटे व्यापारी होते हैं जिनका सामान एक जगह नहीं होता है बल्कि जिले भर में उनका सामान होता है, कुछ इधर, कुछ उधर। अब अगर उनका सब सामान मिला करके ३० हजार रुपये से ऊपर का हो गया, तो उनको उसका बीमा कराना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने पहले जैसा अपना विचार रखा था विधेयक पेश करते वक्त, वह अगर ५० हजार ही रहता तो उसमें छोटे छोटे व्यापारियों को बीमा कराना लाज़िमी नहीं होता।

फैक्ट्री के बारे में भी ऐसा ही है। जैसा कि उन्होंने बताया, बिल्कुल दोनों बिल एक जैसे हैं। उसमें भी यह है कि इंश्योरेंस कराना लाज़िमी है और तीन परसेंट उसमें भी प्रीमियम की सीमा रखी गयी है, तीन परसेंट से ज्यादा नहीं होगा। इसके सम्बन्ध में मुझे यह अर्ज करना है, कि बीमा कराना हर एक फैक्ट्री के लिये अनिवार्य कर दिया गया है और फैक्ट्री की परिभाषा वही दी गई है जो कि फैक्ट्री ऐक्ट के अन्दर उसकी परिभाषा है। उसमें वे सब छोटे मोटे कारखाने भी आ जाते हैं जहां शक्ति का इस्तेमाल होता

[श्री कृष्ण चन्द्र]

है, बिजली से या और किसी इंजन से काम होता है और दस आदमी काम करते हैं। मान लीजिये आटे की चक्की है तो उसमें भी दस आदमी काम करते हैं। उस बेचारे को भी अनिवार्य रूप से बीमा कराना लाजिमी होगा। जैसे व्यापार के अन्दर एक लिमिट उन्होंने बांध दी है कि जिस व्यापारी का ३० हजार से ज्यादा का व्यापार होगा उसी को बीमा कराना अनिवार्य होगा, ऐसे ही कारखानों के लिये, फैक्ट्रीज के लिये भी अगर कोई लिमिट बांध दी जाती तो ज्यादा उचित होता। या तो पूंजी पर रख लेते या यह कर देते कि जिन कारखानों में इतने मजदूर काम करते हैं उनके ऊपर यह अनिवार्य होगा। जो स्कीम गवर्नमेंट बनायेगी, उस स्कीम में दोनों बिलों के अन्तर्गत यह व्यवस्था रहेगी कि किस किस्म के सामान हों, गुड्स हों, जिनका बीमा कराना अनिवार्य होगा। उनकी किस्म अभी खोली नहीं गई है, खोलना गवर्नमेंट के लिये संभव भी नहीं था गवर्नमेंट को अनुमान नहीं है कि किस किस्म की चीजें होंगी क्योंकि पहले लड़ाई का संचालन इस गवर्नमेंट ने किया नहीं। बिलकुल एक तरह से वह गवर्नमेंट के ऊपर स्कीम में लाने के लिये छोड़ दिया गया है। स्कीम के अन्दर यह रखा जायेगा कि किस किस किस्म के माल के ऊपर बीमा कराना लाजिमी होगा। मैं इस हाउस का बहुत समय न ले करके, अन्त में यही कह देना चाहता हूं कि अगर संभव हो सके तो गवर्नमेंट या तो इस बिल में या स्कीम बनाते वक्त कम से कम छोटी फैक्ट्रियों के लिये, जिन फैक्ट्रियों के अन्दर पूंजी कुल ५० हजार की हो, जैसे वहां रखा गया था, वैसे ही यहां कर दें कि ५० हजार तक की पूंजी जिनकी हो उनको बीमा कराना अनि-वार्य नहीं होगा, जैसी व्यापारियों के लिये बिल में व्यवस्था है कि छोटे व्यापारी भी चाहें तो वह अपनी इच्छा से बीमा करा सकेंगे, उनके लिये अनिवार्य नहीं हो, ऐसी ही व्यवस्था छोटी फैक्ट्रियों के लिये भी रखी जा सकती है। उनके लिये अनिवार्य नहीं होना चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उपमंत्री जी या तो स्कीम में ऐसी व्यवस्था कर देंगे या अगर संभव हो तो इसी बिल में संशोधन कर देंगे।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल प्रस्तुत हुये हैं The Emergency Risks (Goods) Insurance Bill, 1962 और The Emergency Risks (Factories) Insurance Bill. 1962 ये दोनों संकटकाल की स्थिति के लिये बहुत आवश्यक हैं। यह जो चीनी आक्रमण हमारे देश पर हुआ वह हम बुलाने नहीं गये और दुर्भाग्य से उन लोगों पर असर हो रहा है जो यह नहीं चाहते कि हम पर आक्रमण हो। उस आक्रमण में सम्पत्ति भी नष्ट हो सकती है, कारखाने भी नष्ट हो सकते हैं, सामान भी नष्ट हो सकता है, कोई भी चीज नष्ट हो सकती है, यहां तक कि मनुष्य भी नष्ट हो सकता है। ये सारी बातें हैं और ऐसी स्थिति में जहां युद्ध का भय होता है, वहां दूर रहने वाले लोगों के हृदय में यह भाव पैदा होता है कि कहीं हमारा यह नुकसान न हो जाये और चाहे जितना दूर रहने वाला व्यक्ति हो उसके हृदय में एक अराजकता का भाव पैदा होता है। एक प्रकार से दुःख होता है कि जो संकट आया है उसमें हमारा नुकसान न हो जाये। इस भावना का उस क्षेत्र पर या उससे लगे हुये क्षेत्र पर अधिक असर होता है जहां पर कि आक्रमण हो। उस भावना में कुछ कमी लाने की दृष्टि से यह जो बिल लाये गये हैं, उनकी जहां तक योजना का सवाल है वह बहुत प्रशंसनीय है और यह स्कीम सोशल वैलफेयर स्टेट का नारा लगाने वाली सरकार ने या अपनी कही जाने वाली सरकार ने लागू किया है।

श्री सोनूसिंह धनसिंह पाटिल (महाराष्ट्र): खाली नारा नहीं लगाते हैं, काम करते भी हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: कार्यरूप में तो बहुत दूर हो, सरकार क्योंकि जो इक्वेलिटी का आपका नारा है वह पूरा हुआ नहीं। सोशल वेलफेयर का नारा लगाते हो लेकिन वेलफेयर अलग चला जाता है और सोशल अलग चलता है। वेलफेयर चला जाता है बड़े लोगों के साथ और सोशल रह जाता है खाली।

यह अत्यन्त आवश्यक था कि इस तरह की कोई योजना कार्य रूप में परिणत करते जिससे कि लोगों के हृदय में इस प्रकार की भावना हो और जो आक्रमण की वजह से, युद्ध-जन्य-स्थिति की वजह से पैदा हो गई है उस पर उनका नियंत्रण हो सके और उनके मन में कुछ यह भावना पैदा हो कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो हमारी सरकार कुछ करेगी, हमको कुछ कम्पेनसेट कर देगी, ऐसी भावना पैदा हो। यह नुकसान केवल केन्द्रीय सरकार को भरना है ऐसा नहीं है, यह सारे भारतवर्ष की जिम्मेदारी है कि उस नुकसान की पूर्ति करें। अगर इस स्कीम के अन्तर्गत हमारी सरकार यह मान कर चले कि इसे हमें एक प्राफिटेबिल बिजनेस बनाना है या जितना प्रीमियम आयेगा उसीके आधार पर काम हो—जो कि नहीं है—तो वह हमारे लिये बड़ा घातक सिद्ध होगा और देश के दूसरे हिस्से के लोगों के लिये भी एक अपमान की बात होगी। अगर किसी क्षेत्र में या किसी गांव में एक तरफ आग लगती है और दूसरी तरफ का आदमी यह विचार करता है कि आग तो बहुत दूर है उसके आने में टाइम लगेगा इसलिये मैं क्यों बुझाने जाऊं और हृदय में यह भावना ले कर के वह चुपचाप बैठा रहता है तो वह आग उसको भी निगल लेती है और उसके मकान को भी स्वाहा कर देती है। तो यह जो आक्रमण हमारी भारतमाता के सिर पर, मुकुट पर हुआ है उसके लिये अगर दक्षिण का रहने वाला या गुजरात का रहने वाला या महाराष्ट्र का रहने वाला या और कोई यह सोचे कि यह आक्रमण तो केवल उत्तर वालों पर है, उन तक ही सीमित है, या उसका नुकसान उन्हें ही उठाना है वही उठायें हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, अगर यह भावना मन में रहती है तो हम जो एकात्मकता का भाव पैदा करना चाहते हैं, जो भारत को एक इकाई के स्वरूप में बना कर रखना चाहते हैं उसमें बड़ी कठिनाई आयेगी और उस कठिनाई को दूर करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सारा भारतवर्ष काश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक यह महसूस करे कि जो आफत आई है वह केवल एक क्षेत्र के लोगों पर ही नहीं है बल्कि हम सब पर है और हम सब को मिल कर के वहां जो कुछ नुकसान होता है उसमें हिस्सा बटाने की कोशिश करना है। यह हमें लोगों को गांव गाव में जाकर बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि भारत वर्ष की जनता ने अपने त्याग से और अपने सहयोग से यह स्पष्ट बता दिया है कि हम अपनी सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय इस सम्बन्ध में सरकार लेगी उसके साथ वह कंधा से कंधा भिड़ा कर आगे बढ़ने को तैयार है। पैसा देने को हम तैयार हैं, खून देने को हम तैयार हैं, मोर्चे पर जाने को हम तैयार हैं। हमारे यहां एक छोटा सा ब्राह्मण था, उसने जहां सुना कि लड़ाई शुरू हो गई है तो वह मुझ से कहने लगा कि भाई साहब, किसी तरह से व्यवस्था करके मेरे को मिलीटरी में भिजवा दीजिये, मेरे को तो रात में नींदभी नहीं आती है। ऐसे एक नहीं, कई गांव में कई उदाहरण होंगे। मैं एक छोटे से गांव का उदाहरण देता हूं जहां की बस्ती केवल १२०० की है। वह यह कहते हैं कि हम लड़ाई पर जाने को तैयार हैं। कई और लोग हैं जिनका उदाहरण दे कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]

लेकिन कई लोगों के हृदय में यह भावना है कि यह जो आफत आई है वह केवल आसाम के लिये या उत्तर प्रदेश के लिये या काश्मीर के लिये या पंजाब वालों के लिये नहीं आई है बल्कि सारे भारतवर्ष के लिये आफत है और यह जो आग लगी है उसको रोकने के लिये हमको भी त्याग करना पड़ेगा, हमको भी सहयोग देना पड़ेगा और उसके बिना यह आग बुझ नहीं सकती है।

तो एक काम यह भी है कि जिनकी वहां पर जायदाद है, जिनका वहां पर कारखाना है—पर्सनल इंजरीज के बारे में तो हमने अलग कानून पास कर लिया है मगर जहां तक जायदाद का सवाल है, फैक्टरीज का सवाल है — उसके लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस तरह का एक विधेयक बना कर के उसे कानून की शक्ल दें ताकि हम उनके मन में यह भावना पैदा कर सकें कि यह नुकसान हमारा अकेले का नहीं है बल्कि सारे भारत-वर्ष का है। जिस तरह से कि कई लोग मिल कर के अगर कहीं किसी का नुकसान होता है तो उसके नुकसान की पूर्ति करते हैं– किसी अंश तक उसकी पूर्ति करते हैं– जैसे कि पहले कुटुम्ब-सहयोग की योजना चलती थी कि किसी कुटुम्ब की क्षति होने पर अन्य कुटुम्ब के लोग मिल कर के नुकसान की पूर्ति करते थे और जैसा कि आज भी गांवों में यह प्रथा है कि अगर बिरादरी का कोई आमदमी, कोई बूढ़ा मर जाता है, हेड आफ दि फेमिली मर जाता है, तो उसके आस पास के, उसके रिश्ते-दार, सब लोग पगड़ी बंधन का कार्यक्रम करते हैं और इस पगड़ी बंधन के कार्यक्रम में एक रुपया, दो रुपया, या तीन रुपया या जिसे जो भी देना होता है वह देता है, इस आशय से देता है कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है और यह अपने आपको असहाय महसूस करके दुःखी न हो जाय, यह योजना हमारे यहां पर वर्षों से चली आ रही है, इसी आशय से कि उसके नकसान की पूर्ति हो— वैसे उसके बदले में वह यह नहीं सोचता कि यह भी मुझे देगा, मेरा नुकसान होने पर उसके पूरा करने के लिये देगा— वह तो एक दूसरे की मदद करने के लिये, एक दूसरे के सहयोग के लिये देते हैं और एक दूसरे की सहायता के लिये वह कार्यवाही करते हैं—तो वह भावना हमारे मन में, जन जन के मन में केवल कानून के आधार पर नहीं बनी हुई है, वह तो संस्कार के रूप में हम लोगों की भावना बनी है और उसी संस्कार के आधार पर आज सारा देश एक साथ खड़ा हो गया है, उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक, कि यह जो आफत आई है इसका मुकाबिला हम डट कर करेंगे।

अब विधेयक में बीमा कराने की जो व्यवस्था रखी है और उस व्यवस्था में जो प्रीमियम रखा है उसके बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। पूर्व में जो वक्तव्य दिया वह इस आशय से दिया कि हमारी सरकार यह महसूस करे कि उसको ऐसी व्यवस्था करनी है कि वहां के लोग यह महसूस न कर सकें कि कम्पलसरी इंश्योरेंश के द्वारा सरकार हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का टैक्स लगा रही है। जो इंश्योरेंश के महत्व को नहीं समझते वे ऐसा सोच सकते हैं कि पहले तो चीनियों ने हमें गोली मारी और अब ये चांदी की गोली से हमको मारने के लिये तैयार हो गये हैं यानी हमसे पैसा वसूल करने को तैयार हो गये हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को यह विचार करना चाहिये कि हमें प्रीमियम कितना देना है। वैसे ३ प्रतिशत का बताया है लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि इसको इससे भी कम करना चाहिये। हमें यह एक नामिनल, नाममात्र का रखना चाहिये ताकि जो कार्य वगैरह भर कर देना है उसकी व्यवस्था हो सके और उसके मन में यह फीलिंग भी रहे कि हमें कुछ देना पड़ रहा है, बिल्कुल मुफ्त में ही काम नहीं हो रहा है। देने की फीलिंग रखने के लिये इसमें एक नाममात्र का प्रीमियम रखना चाहिये न कि इस दृष्टि से रखना चाहिये कि उससे

हम अधिक से अधिक प्राप्त करें । मेरे मत में अभी जो रखा गया है वह कुछ अधिक रखा गया है । मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह यह भावना उनके हृदय में नहीं आने दें कि हमसे जो वसूल किया जा रहा है उतना ही नुकसान हमको मिल जायेगा उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है । उनको भारत के प्रत्येक कोने से जनता मदद देने के लिये इंकार नहीं कर रही है और अगर हम उन पर कुछ पैसा टैक्स के रूप में या प्रीमियम के रूप में लगाते हैं– जो कि वे टैक्स के फार्म में ही समझेंगे– तो उनके हृदय में एक गलत भावना पैदा होगी और हम उनको जो लाभ देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे । हमें तो उन्हें यह बता देना चाहिये कि भारत के दूसरे हिस्से के जो नागरिक हैं वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सहयोग देने को तैयार हैं और वे यह भावना रख कि उनके नुकसान में हमारा नुकसान है, उनकी हानि में हमारी हानि है । तो इस दृष्टि से बीमा करने का जो प्रीमियम हमारी सरकार रखना चाहती है उसे और कुछ कम करने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

अब रहा सवाल यह कि नुकसानी होने पर कम्पेनसेशन देने के बारे में क्या व्यवस्था हो । भगवान ऐसी स्थिति न लाये कि नुकसान देने की बात हो लेकिन अगर कभी दुर्भाग्य से नुकसान भी हो तो फिर हमारी सरकार को इस मामले में कोई ढील बरतने की आवश्यकता नहीं है, उसको इन केसेज का निर्णय बहुत जल्दी और बहुत उदारतापूर्वक करना चाहिये । यह नहीं हो, जसा कि अभी तक का अनुभव है, कि रेड-टैपिज्म में एक केस चला गया तो ऊपर से नीचे एक क्वेरी लग कर आया और फिर नीचे से ऊपर गया तो एक दूसरी क्वेरी लग कर आ गया कि इसका जवाब दो कि इसका क्या मतलब था और इस तरह वह केस ऊपर से नीचे चलता है और एक क्वेरी के बाद दूसरी क्वेरी लगती रहती है, तो यह जो कार्यालयों में रेड-टैपिज्म का हिसाब देखते हैं वैसा इस मामले में न हो । हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि निर्णय लेने में देरी न हो सके और सब काम शीघ्रातिशीघ्र निबटाया जा सके । और उनको जो धन मिलना हो वह मिल जाये और उनको इसके लिये कोई चक्कर न लगाना पड़े जैसा कि हमारे बहुत से पुरुषार्थी भाइयों के बारे में हुआ है, जिनको पाकिस्तान से आये कितने ही वर्ष हो गये हैं लेकिन अभी तक व क्लेम के बारे में चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखा करते हैं । मैं भी एक गांव में रहता हूं और वहां पर कुछ पुरुषार्थी भाई आये हैं । एक भाई ने मुझसे कहा, टूटी फूटी हिन्दी और टूटी फूटी पंजाबी में कहा कि मैंने इतनी अर्जियां दीं अभी तक क्लेम का निकाल नहीं लगा । वे कहते हैं रोहतक से एसा नहीं आया, दिल्ली के क्लेम आफिसर से उत्तर नहीं आया । वह यहां से परेशान होकर आये और हम यहां उनको सिन्सेयरली जो देना चाहते हैं वह आफिशियल चक्कर में पड़ कर दे नहीं पाये और जो हम बिल्कुल अच्छे रूल्स, अच्छी नीयत से कानून पास करके सारे अधिकार सरकार को देकर उनके हाथ में सौंपते हैं कि उनको लाभ पहुंचाएं, उनको नुकसान न होने दें, इसके बावजूद हम देखते हैं कि वह लालफीताशाही में ऐसा मामला फंस जाता है कि जो लाभ उनको मिलना चाहिये वह मिल नहीं पाता और इसलिये इस बात का अत्यन्त ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जब हम उनको कम्पेन्सेंट करने वाले हैं— उसमें डिले न हो—नहीं तो अगर वहां से हमला हुआ हम नहीं चाहते ऐसा हो, हम कल्पना भी नहीं करना चाहते—और कोई उनकी जायदाद नष्ट कर दे, अगर कहीं ऐसा दुर्भाग्य से हुआ और वे बेचारे भाग कर, कारखाने छोड़ कर बम्बई चले गये तो वहां से पत्र व्यवहार करते रहें तो यहां जो लखपति रहे हों वहां वे फुटपाथ के आदमी बन जायें । ऐसी स्थिति में हम उनको, जैसे पुरुषार्थी लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में डाल दिया

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया]

था वैसी स्थिति में डाल दें तो उससे बुरी बात कोई नहीं होगी और इसलिये इसका सेफगार्ड करना अत्यन्त आवश्यक है । यदि हम सेफगार्ड नहीं करते हैं तो हमारा जो लक्ष्य विधेयक को पास करने का है उसको पूरा करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे ।

इन दो सुझावों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय इन दोनों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे। कम्पलशन की जो भावना है उसको जरा भी नहीं आने दें। कंपलशन भी हो तो नामिनल पेमेंट उनसे लिया जाये, बाकी आप चाहें दूसरे फंड ले लीजिए । मुझे आशा है कि संसद के सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि उनको किसी तरह की हीनता की भावनायें अकेलेपन भावना कि अकेले हम पर ही आपत्ति आई है नहीं आनी चाहिये । उनमें एकात्मता की और एकसूत्रता की भावना उत्पन्न करनी चाहिये और यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम योजना को इस ढंग से अमल में लायें कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

شری عبدالغنی (پنجاب) : وائس چیرمین صاحب - میں پربھو کا شکرگذار ہوں کہ جہاں ہم پر ایک بڑی مصیبت آئی کہ چین والوں نے زیادتی کی ہمارے اوپر اور وہ حملہ کرکے آ گئے لیکن اس میں بھلائی بھی ہوئی -

"خدا شرے بر انگیزد کہ
خیر ما در آں باشد - "

کبھی کبھی بری بات سے اچھی بات بھی پیدا ہو جاتی ہے - ہماری سرکار چوکنی ہو گئی ہے اور انتہائی کوشش کر رہی ہے کہ ہر طرح سے ہر طریقہ سے اس جارحانہ کاروائی کے خلاف ہم ہتھیار برتیں - مجھے خوشی ہے کہ سرکار چاروں اور نئے نئے بل لائی ہے تاکہ اس ایمرجنسی میں عوام کی اور دیش کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرسکے - میں اپنے آنریبل ممبر کے ساتھ جنہوں نے یہ کہا کہ پچاس ہزار کے بجائے تیس ہزار کی لمٹ کرکے سرکار نے اور سخت کر دیا انشورنس کے لئے تو میں کہتا ہوں کہ سرکار نے یہ بڑا اچھا کیا کیوں اچھا کیا وائس چیرمین صاحب - اس وقت جہاں ہمیں اچھے سے اچھے اسلحہ کی ضرورت ہے جہاں ہمیں اپنے فوجیوں کے لئے اچھے سے اچھے سامان کی ضرورت ہے وہاں ہمیں غلے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ غلہ کی سپلائی کے بغیر کوئی فوج لڑ نہیں سکتی - کسی دیش میں جہاں غلہ کی حفاظت نہ ہو وہاں ایسے حالات میں امن نہیں رہ سکتا - جب ان پر پابندی ہوگی کہ وہ انشورنس کرائیں - ایسا کرنا ان کے لئے لازم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دو فائدے ہونگے ایک تو یہ کہ وہ زیادہ دیر تک کے لئے اپنے پاس اس اناج کو رکھینگے نہیں نکالنے کی کوشش کرینگے دوسرے یہ کہ جوں ہی وہ انشورنس کرائینگے سرکار کے علم میں آ جائیگا اور سرکار کو بڑی آسانی ہو جائیگی کہ وہ وقت ضرورت اس غلہ کو استعمال کرسکے -

ہاں ایک مشکل بھی آتی ہے اور وہ ہے فیکٹریز کے سلسلہ میں - دس بوتھوں کے کام کرنے سے جہاں زیادہ کام ہوتا ہے وہاں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ انشورنس کرائیں لیکن میری مشکل کیا ہے یہ میں عرض کروں کہ دیش میں ایسی ہزارہا فیکٹریز ہیں جہاں دس آدمی تو کام کرتے ہیں لیکن ان کا سرمایہ پانچ ہزار کا بھی نہیں ہوتا جیسے چمڑے کا کام کرنے والے لکڑی کا کام کرنے والے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا گرائینڈنگ کا کام کرنے والے یا اس طرح کی دسیوں فیکٹریاں ہیں جن کے پاس سرمایہ کچھ نہیں ہوتا بجلی بھی وہاں استعمال ہوتی ہے وہاں آدمی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لئے واقعی مشکل ہو جائیگی کہ وہ انشورنس کا بوجھ اپنے سر پر لیں وہ نہیں لے سکینگے - اس لئے میں سرکار سے آپ کے دوارا عرض کرتا ہوں کہ جب وہ رولز اسکیم بنائیں تو اس میں ان لوگوں پر بوجھ نہ بنائیں - ان لوگوں پر ان فیکٹریوں پر بوجھ نہ ڈالیں جن کا سرمایہ بہت کم ہے اور وہ مل جل کر تھوڑا کام چلاتے ہیں -

مجھے وائس چیرمین صاحب یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جب سرکار اس طرف دھیان دے رہی ہے تو یقیناً خدا نہ کرے جیسے پھر چائنا اپنی سگنیفیکنس بدل رہا ہے اور ہمارے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں - اگر ضرورت پڑیگی تو اپنے دیش کی آنر کو ہم نہیں بھولینگے دیش کی آنر پر ہم مٹ جائینگے ہمت سے لڑینگے - ایسی صورت میں اور بھی زیادہ ضرور ہو گیا ہے کہ سرکار انشورنس کے لئے فیکٹریوں اور دوسرے لوگوں کو کچھ چاہے وہ غلہ والے ہوں یا اور کوئی - اس کو کوئی مشکل آئے کہ اس کو ریفنڈ کرانا پڑے تو وہ بھی وار لیول پر ہونا چاہئے - میں چودھری صاحب کے خیال سے متفق ہوں کہ اگر اس وقت وہ ریڈ ٹیپزم جو عام عادت ہو گئی تھی - آج تو سرکار نے اس پر کافی قابو پا لیا ہے اور اتہلد بی قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے - گر اس طرح ریڈ ٹیپزم چلے تو مجبور تو ہے کہ اس سے ملک میں جو جوش - جو صدق دلی - جو جذبہ ہے اس بات کا کہ سرکار کے ہاتھ مضبوط ہوں اس میں وگھن پڑیگا - تو اس لئے سرکار جب یہ اسکیم بنائے تو اس میں اس بات کی طرف بھی دھیان دے کہ ایسی بات نہ ہونے پائے جس سے ملک میں کسی طرح کی بھی بے چینی ہو - میں اس خیال سے بھی متفق ہوں کہ سرکار لوگوں کے دل میں یہ بات نہ آنے دے کہ یہ زبردستی ان کے اوپر انشورنس کی زیادتی ہے کیونکہ اس

[شری عبدالغنی]

سے کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے - لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اس وقت سرکار جس طریقہ سے بھی زیادہ سے زیادہ فنڈ سے اپنی پشت بندی کرسکے جس زیادہ سے زیادہ طریقہ سے وہ زیادہ سے زیادہ روپیہ حاصل کر سکے وہ اسے کرنا ہی چاہئے - اور میری ہر طرح کی سمپتھی، ہر طرح کی اچھی بھاونا سرکار کے ساتھ ہوگی کیونکہ آخر سرکار جو لڑتی ہے تو وہ لڑتی ہے تین باتوں پر ایک یہ کہ سارا ملک اس کی پشت پر ہو اس کے پاس اچھی سینا ہو اچھے افیسر ہوں چاہے وہ سول کے ہوں ملٹری کے ہوں جو اپنے دیش کی حفاظت میں سرکار کا پورا پورا ساتھ دے سکیں - تیسرا یہ کہ روپیہ ہو - تو روپیہ کے لئے سرکار جو بھی سادھن چاہیگی اس کو مہیا کرنے میں ہم مدد کرینگے - اس میں پورا پورا سرکار کا ساتھ دینگے - لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے وائس چیرمین صاحب کہ سرکار ایسا قانون جب لائے تو اس کی کوشش یہ رہنی چاہئے کہ دونوں سائڈس اس کے سامنے رہیں - ایک یہ ہے کہ ایمرجنسی کو کیسے میٹ کرنا ہے اور دوسری طرف یہ عوام جس کو ڈیفنس آف انڈیا بل پاس کرکے ہم نے اس کی زبان پر تالا لگایا اس لئے کہ دیش کا بھلا ہو، ہم نے ان کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی ہے اس لئے کہ دیش کا بھلا ہو- ان کے دماغ میں اگر یہ بات آئے کہ سرکار ان کے اوپر کوئی چیز زبردستی تھوپنا چاہتی ہے تو یہ باتیں سرکار کے حق میں نہیں جائینگی دیش کے حق میں نہیں جائینگی- تو مجھے امید ہے کہ سرکار دونوں طرف دھیان دیگی روپیہ بھی اکٹھا کریگی لیکن لوگوں کے دلوں میں بے چینی نہ پیدا ہونے دیگی -

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब)]: वाइस चेयरमैन साहब, मैं प्रभु का शुक्र गुज़ार हूं कि जहां हम पर एक बड़ी मुसीबत आई कि चीन वालों ने ज्यादती की हमारे ऊपर और वह हमला करके आगये लेकिन इसमें भलाई भी हुई :

खुदा शरें बरअंगीज़द कि खैरे मा
दरां बाशद

कभी कभी बुरी बात से अच्छी बात भी पैदा हो जाती है। हमारी सरकार चौकन्नी हो गई है और इन्तहाई कोशिश कर रही है कि हर तरह से हर तरीके से इस जारहाना कार्यवाही के खिलाफ़ हम हथियार बरतें। मुझे खुशी है कि सरकार चारों ओर नये नये बिल लाई है ताकि इस इमरजेंसी में आवाम की और देश की ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकें। मैं अपने आनरेबल मेम्बर के साथ जिन्होंने यह कहा कि पचास हजार के बजाय तीस हजार की लिमिट करके सरकार ने और सख्त कर दिया इन्श्योरेंस के लिये तो मैं कहता हूं कि सरकार ने यह बड़ा अच्छा किया। क्यों अच्छा किया वाइस चेयरमैन साहब। इस वक्त जहां हमें अच्छे से अच्छे असला की जरूरत है जहां हमें अपने फौजियों

†[ ] Hindi transliteration.

के लिये अच्छे से अच्छे सामान की जरूरत है वहां हमें गल्ले की भी जरूरत है क्योंकि गल्ले की सप्लाई के बगैर कोई फौज लड़ नहीं सकती। किसी देश में जहां गल्ले की हिफाजत न हो वहां ऐसे हालात में अमन नहीं रह सकता। जब उन पर पाबन्दी होगी कि वह इन्श्योरेंस करायें, ऐसा करना उनके लिये लाजिम होगा तो मैं समझता हूं कि इसके दो फायदे होंगे एक तो यह कि वह ज्यादा देर तक के लिये अपने पास इस अनाज को रखेंगे, नहीं निकालने की कोशिश करेंगे। दूसरे यह कि ज्योंही वह इन्श्योरेंस करायेंगे सरकार के इल्म में आ जायेगा और सरकार को बड़ी आसानी हो जायेगी कि वह वक्त जरूरत इस गल्ले को इस्तेमाल कर सके।

हां, एक मुश्किल भी आती है वह है फैक्टरीज के सिलसिले में। दस भाइयों के काम करने से जहां ज्यादा काम होता है वहां गवर्नमेंट चाहती है कि वो इन्श्योरेंस करायें लेकिन मेरी मुश्किल क्या है यह मैं अर्ज करूं कि देश में ऐसी हजारों फैक्टरीज हैं जहां दस आदमी तो काम करते हैं लेकिन इन का सर्माया पांच हजार का भी नहीं होता। जैसे चमड़े का काम करने वाले लकड़ी का काम करने वाले और जैसा कि उन्होंने बताया ग्राइंडिंग का काम करने वाले या इस तरह की दसियों फैक्टरियां हैं जिनके पास सर्माया कुछ नहीं होता बिजली भी वहां इस्तेमाल होती है वहां आदमी भी बहुत ज्यादा होते हैं उन के लिये वाकई मुश्किल हो जायेगी कि वह इन्श्योरेंस का बोझ अपने सिर पर लें वह नहीं ले सकेंगे। इसलिये मैं सरकार से आपके द्वारा अर्ज करता हूं कि जब वह रूल्ज स्कीम बनायें तो उसमें उन लोगों पर बोझा न बनायें। उन लोगों पर उन फैक्टरियों पर बोझा न डाले जिन का सर्माया बहुत कम है और वह मिल जुल कर थोड़ा काम चलाते हैं।

मुझे वाइस चेयरमैन साहब यह भी अर्ज करना है कि जब सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है तो यकीनन—खुदा न करे जैसे फिर चाइना अपनी स्टैन्ड बदल रहा है और हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब उनके साथ पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करने जा रहे हैं—अगर जरूरत पड़ेगी तो अपने देश की आनर को हम नहीं भुलायेंगे देश की आनर पर हम मिट जायेंगे, हिम्मत से लड़ेंगे। ऐसी सूरत में और भी जरूरी हो गया है कि सरकार इन्श्योरेंस के लिये फैक्टरियों और दूसरे लोगों को कहें चाहे वह गल्ले वाले हों या और कोई। उसको कोई मुश्किल आये कि उसको रिफन्ड कराना पड़े, तो वह भी बार लेबल पर होना चाहिये। मैं चोरड़िया साहब के ख्याल से मुत्तफ़िक़ हूं कि अगर इस वक्त वह रेड टैपिज्म जो आम आदत हो गई थी आज तो सरकार ने उस पर काफी काबू पा लिया है और आइन्दा भी काबू पाने की कोशिश कर रही है। अगर इस तरह रेड टैपिज्म चले तो मुझे डर है कि उससे मुल्क में जो जोश, जो सदक़दिली, जो जज्बा है इस बात का कि सरकार के हाथ मज़बूत हों उस में विघ्न पड़ेगा। तो इसलिये सरकार जब यह स्कीम बनायें तो उसमें इस बात की तरफ भी ध्यान दे कि ऐसी बात न होने पाये जिससे मुल्क में किसी तरह की भी बेचैनी हो। मैं इस ख़याल से भी मुत्तफ़िक़ हूं कि सरकार लोगों के दिल में यह बात न आने दे कि यह जबरदस्ती उनके ऊपर इन्श्योरेंस की ज्यादती है क्योंकि उससे कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस वक्त सरकार जिस तरीके से भी ज्यादा से ज्यादा फंड से अपनी पुश्तबन्दी कर सके जिस रिज़नेबल तरीके से वह ज्यादा से ज्यादा रुपया हासिल कर सके वह उसे करना ही चाहिये। और मेरी हर तरह की सेम्पेथी, हर तरह की अच्छी भावना सरकार के साथ होगी, क्योंकि आखिर सरकार जो लड़ती है तो वह लड़ती है तीन बातों पर, एक यह कि सारा मुल्क उसकी

[श्री अब्दुल ग़नी]

पुश्त पर हो उसके पास अच्छी सेना हो अच्छे अफसर हों चाहे वो सिविल के हों या मिलिटरी के हों जो अपने देश की हिफ़ाज़त में सरकार का पूरा पूरा साथ दे सकें। तीसरा यह कि रुपया हो। तो रुपये के लिये सरकार जो भी साधन चाहेगी उसको मुहैया करने में हम मदद करेंगे उसमें पूरा पूरा पूरा सरकार का साथ देंगे। लेकिन मुझे अर्ज यह करना है वाइस चेयरमैन साहब कि सरकार ऐसा कानून जब लाये तो उसकी कोशिश यह रहनी चाहिये कि दोनों साइड्स उसके सामने रहें। एक यह कि इमरजेन्सी को कैसे मीट करना है और दूसरी तरफ यह अवाम जिसको डिफेन्स आफ इंडिया बिल पास कर के हमने उसकी जबान पर ताला लगाया इसलिये कि देश का भला हो हमने उनके सरगर्मियों पर पाबन्दी लगाई है इसलिये कि देश का भला हो। उनके दिमाग में अगर यह बात आये कि सरकार उनके ऊपर कोई चीज़ जबरदस्ती थोपना चाहती है तो ये बातें सरकार के हक में नहीं जायेंगी। देश के हक में नहीं जायेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार दोनों तरफ ध्यान देगी। रुपया भी इकट्ठा करेगी लेकिन लोगों के दिलों में बेचैनी न पैदा होने देगी।]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the. clock on Tuesday, the 11th December, 1962.